भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2645
बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

पीएलएफएस द्वारा नौकरियों के ताजातरीन आंकड़े

2645. डा. अमी याज्ञिकः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2019 से अब तक देश में रिकार्ड स्तर तक पहुँच चुकी बेराजगारी की दर पर ध्यान दिया है;
(ख) मार्च 2020 से अब तक लॉकडाउन के दौरान चली गई नौकरियों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) सहित नौकरियों से संबंधित सरकारी आंकड़ो को ताजातरीन बनाया गया है;
(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा परिस्थिति का आकलन करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार भारत के रोजगार संकट को दूर करने के लिए एक व्यापक योजना बनाने पर विचार कर रही है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से एकत्र किए जा रहे हैं। वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट जुलाई से जून की सर्वेक्षण अवधि को सम्मिलित करती है। पीएलएफएस ने हाल ही में शहरी क्षेत्रों हेतु चालू साप्तहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) पर त्रैमासिक बुलेटिन जारी किया है। नवीनतम प्रकाशन जुलाई-सितम्बर, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही से संबंधित है।

2018-19 एवं **2019-20** के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति आधार पर **15** वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) एवं अनुमानित बेरोजगारी दर नीचे दी गई हैं:

(प्रतिशत में)

वर्ष	2018-19		2019-20	
	डब्ल्यूपीआर	यूआर	डब्ल्यूपीआर	यूआर
अखिल भारत	47.3	5.8	50.9	4.8

डब्ल्यूपीआर-कामगार जनसंख्या अनुपात
यूआर-बेरोजगारी दर

सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है, इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार की पुनः बहाली हेतु 1 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत, नए कर्मचारियों में वे कर्मचारी शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना रोजगार खो चुके थे एवं 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किसी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं थे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, भारत सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। इससे कोविड पश्च अवधि के दौरान ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार प्रदान कराने में सहायता मिली है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को कोविड पश्च अवधि के दौरान फिर से अपना व्यापार शुरू करने में सहायता के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने को सरल बनाया है।

इसके अलावा, आरबीआई एवं भारत सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र सहित अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों तक बाधा रहित क्रेडिट प्रवाह को बनाए रखने के लिए अनेक मौद्रिक एवं तरलता उपाय किए हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करने जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं।

*****